



सत्यमेव जयते

Kushal Singh
कुशल सिंह

Chief Secretary

मुख्य सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

Government Secretariat, Jaipur-302 005

शासन सचिवालय, जयपुर-302 005

अ.शा. पत्र क्रमांक: पीएस/पीएसआडीपीआर/09/185
जयपुर दिनांक: 9/6/09


प्रिय कलेक्टर,

मैं आपका ध्यान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अ0शा0 पत्र क्रमांक पीएस/पीएसआरडीपीआर/09/169 दिनांक 3.6.2009 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने "हरित राजस्थान" अभियान के लिये आवश्यक तैयारियों करने हेतु लिखा है। यह कार्यक्रम एक बहुत ही महत्पूर्ण कार्यक्रम है जिसे आने वाले 5 वर्षों में क्रियान्वित करना है। इस कार्यक्रम की सफलता आपके स्तर पर की गयी अग्रिम तैयारियों पर निर्भर करेगी। इस हेतु आप निम्न बिन्दुओं पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही कर प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को सूचित करें :-

1. पूरे जिले में इस अभियान को संचालित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी।
2. इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारों पर पेड़ लगाने, चारागाह भूमियों पर घास/पेड़ लगाने एवं वन भूमियों पर पौधारोपण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जायेगा। अगले 5 वर्षों तक इनके रखरखाव का कार्य भी होगा।
3. क्रियान्वयन एजेन्सी, वन विभाग/ग्राम पंचायतें एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थाएं/ट्रस्ट भी हो सकते हैं।
4. इस कार्यक्रम पर होने वाला समस्त व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम से होगा। ऐसे समस्त स्थानों को चिन्हित कर लें जहां पर इस वर्ष पौधारोपण किया जाना है। एजेन्सियों का भी चयन कर लें।
5. शहरी क्षेत्र में सम्बंधित शहरी निकायों द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा तथा इस पर होने वाला व्यय एवं रखरखाव आदि की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी।
6. वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पौधों की कम संख्या को देखते हुए आप प्राईवेट नर्सरियों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पौधों का Assessment (निर्धारण) कर लें। इस हेतु प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास द्वारा आपको अलग से भी लिखा गया है।

7. अन्य समस्त स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्ट्स, अधिकारी/कर्मचारी संगठन, व्यापार मण्डल, स्थानीय मीडिया/औद्योगिक संगठनों आदि के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाएँ तथा उनके द्वारा सहयोग को चिन्हित कर लें। उनका सहयोग पौधारोपण से लेकर रखरखाव तक हो सकता है।
8. समय कम है इसलिए आप इस सम्बंध में तुरन्त कार्यवाही करने हेतु **जिला कार्य योजना** तैयार कर लें जिसमें इस वर्ष किन और कितनी लम्बाई की सड़कों के किनारे पौधारोपण होगा, कितनी चारागाह भूमि पर पौधारोपण/बीजारोपण होगा, कितनी वन भूमि पर पौधारोपण होगा आदि तय कर लें। साथ ही रखरखाव के लिए कौन सी एजेन्सी जिम्मेदार होगी यह भी सुनिश्चित करें। क्योंकि इस वर्ष वन विभाग के पास पौधे कम हैं, इसलिए आप अपने जिले में एक या दो सड़कों का चयन कर लें एवं उस पर सघन वृक्षारोपण किया जाए। अन्य सड़कों पर पूर्व में लगे पेड़ों का रखरखाव किया जाए।
9. इस कार्य योजना को कार्य योजना 2009-10 का ही पार्ट मानते हुए आवश्यक स्वीकृति निकालना एवं पौधारोपण के लिए अग्रिम तैयारियां जैसे गड्ढे खोदना, पौधों एवं बीजों की व्यवस्था करना आदि कर लें।
10. निजी नर्सरियों से पौधों/बीजों का क्रय जिला कलेक्टर एवं जिला वन अधिकारी मिलकर करेंगे तथा यह व्यय नरेगा के Material component की राशि से होगा।
11. यह देखना होगा कि क्रियान्वयन एजेन्सी को आवश्यकतानुसार श्रमिक ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये जायें।

योजना की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। आप इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। आवश्यक कदम उठाये जायें एवं की गयी कार्यवाही से मुझे अवगत करावें। तैयारियों की समीक्षा हेतु जून के तीसरे सप्ताह में जिला कलेक्टर्स सम्मेलन भी बुलाया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बंध में अगर कोई ओर सूचना/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास से सम्पर्क करें।

सदभावी

 (कुशल सिंह)

श्री
 जिला कलेक्टर,

“हरित राजस्थान” स्कीम

1. योजना का नाम इस योजना का नाम “हरित राजस्थान” होगा
2. योजना का क्षेत्र पूरे राजस्थान प्रदेश में लागू होगी।
3. योजना में लिये जाने वाले कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, सरकारी भूमि पर क्लस्टर प्लांटेशन, वन भूमि एवं चारागाह भूमि पर वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास
शहरी क्षेत्रों में आवासीय कॉलोनियों में, सरकारी भूमि एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, संस्थाओं के आहतों में वृक्षारोपण
4. योजना का कार्यकाल यह पंचवर्षीय योजना होगी जो 2009–10 से प्रारम्भ होकर 2013–14 तक चलेगी
5. योजना के लिए फण्ड्स
अ) ग्रामीण क्षेत्रों में NREGS के अन्तर्गत कार्य लिये जायेंगे जिसमें पौधारोपण से लेकर पांच वर्ष की देखरेख का व्यय शामिल होगा।
ब) शहरी क्षेत्र में व्यय सम्बंधित शहरी निकाय या सम्बंधित संस्था करेगी
6. योजना का शुभारम्भ योजना जुलाई 2009 से प्रारम्भ होगी। इसका शुभारम्भ राजस्थान में राज्य, जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर एक साथ किया जायेगा।
7. योजना में शामिल विभाग तथा उनकी जिम्मेदारी
क) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग विभाग
i) नोडल विभाग होगा। पूरे राज्य में इस स्कीम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग विभाग की होगी।
ii) इस वर्ष के प्रस्तावों का अनुमोदन करवाकर कार्य योजना 2009–10 में शामिल करवाना।
iii) वर्ष 2010–11 से 13–14 की कार्य योजना में योजना के प्रस्तावों को शामिल करवाना।
iv) विभागों को नरेगा फण्ड्स उपलब्ध करवाना।
ख) नगरीय विकास विभाग/शहरी निकाय
i) शहरी क्षेत्र में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी
ii) फण्ड्स उपलब्ध करवाना
iii) स्वयं या अन्य संस्थाओं द्वारा रखरखाव की व्यवस्था
ग) शिक्षा विभाग : स्कूलों में एवं अन्य सरकारी भूमि पर छात्रों

द्वारा वृक्षारोपण की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी।
यह पौधारोपण नरेगा के अन्तर्गत होगा तथा रखरखाव
की जिम्मेदारी भी स्कूल की ही होगी।

घ) गृह विभाग : थानों एवं अन्य पुलिस विभाग की भूमि पर पेड़
लगाने का कार्य एवं रखरखाव इनके द्वारा होगा

ङ) चिकित्सा विभाग: अस्पताल आदि की भूमि पर वृक्षारोपण एवं
रखरखाव इनके द्वारा किया जायेगा।

च) RIICO: औद्योगिक क्षेत्र में पौधारोपण एवं रखरखाव की
जिम्मेदारी

छ) सार्वजनिक निर्माण विभाग : सम्बंधित संस्थाओं को सड़कों की
जानकारी देना एवं पेड़ लगाने में सहयोग देना।

ज) सिंचाई : नहरों के किनारों पर एवं अन्य सिंचाई विभाग की
भूमियों पर पेड़ लगाने एवं रखरखाव की जिम्मेदारी

झ) वन विभाग

i) सड़कों के किनारों पर पेड़ लगाना एवं क्लस्टर प्लांटेशन,
वन भूमि पर पेड़ लगाना

ii) पौधारोपण हेतु पेड़ उपलब्ध कराना जिसके लिए वन विभाग
नर्सरियां विकसित करेगा।

iii) लगाये गये पेड़ों के रखरखाव की जिम्मेदारी

iv) निजी नर्सरी को प्रोत्साहन हेतु पेड़ खरीद का आश्वासन

v) रखरखाव- वन विभाग स्वयं या अन्य संस्थाओं द्वारा
जिसको वे देना चाहें ताकि प्रभावी रखरखाव हो

ण) महिला अधिकारिता एवं कल्याण विभाग: इस विभाग के
अधीन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से
नर्सरियों को विकसित किया जायेगा जिनके पौधों को वन
विभाग खरीदेगा।

य) पंचायती राज विभाग

i) पंचायत भूमियां एवं चारागाहों पर पौधारोपण की
जिम्मेदारी, PMGSY की सड़कों के किनारों पर पेड़ लगाने
का कार्य

ii) नरेगा के अन्तर्गत फण्ड्स उपलब्ध रहेंगे।

iii) पौधारोपण का कार्य एवं रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायतें
करेंगी।

8. अनुवीक्षण
(monitoring) एवं
समीक्षा

1. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी
करेगी।

2. जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित

कमेटी करेगी।

9. सहभागिता

- अ) अन्य संस्थाओं एवं संगठनों से भी योगदान लिया जायेगा। यह सहयोग पौधारोपण से लेकर रखरखाव तक हो सकता है। सम्बंधित संस्था किसी विशेष क्षेत्र या विशेष length of road को पौधारोपण या रखरखाव हेतु ले सकेगी।
- ब) ऐसी संस्थाओं का चयन तथा कार्य का आवंटन राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर करेंगे।
- स) यह संस्थाएं निम्न हो सकती हैं :
- NGOs/Trusts/अप्रवासी राजस्थानी
 - Industrial Association (FICCI)
 - Lions/Rotary /Eco Clubs
 - वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितिया
 - कर्मचारी/अधिकारी संगठन
 - मीडिया

10. रिपोर्ट्स

सम्बंधित विभाग प्रति सप्ताह प्रगति रिपोर्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को निर्धारित प्रारूप में भेजेंगे (ईमेल: pdre_rdd@yahoo.com)

11. लोगों के सुझाव एवं फीडबैक

कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव ईमेल द्वारा pdre_rdd@yahoo.com पर भेज सकता है

12. प्रचार प्रसार

प्रचार प्रसार पर व्यय नरेगा फण्ड्स से होगा। राज्य स्तर पर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आयुक्त, ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की होगी। जिलों में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरर्स की होगी

**“हरित राजस्थान”
वृक्षारोपण एवं अनुसंधान साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट का विवरण
सप्ताह दिनांक..... से तक**

क्र.सं.	विभाग/ संस्था का नाम पता	स्वीकृत कार्य का नाम ग्राम.....पं.सं. जिसके तहत वृक्षारोपण किया जाना है	स्वीकृत कार्य के अनुसार लगाये जाने वाले वृक्षों का विवरण		पिछले सप्ताह तक लगाये गये वृक्षों का विवरण		चाछू सप्ताह में लगाये गये वृक्षों का विवरण		कुल लगाये गये वृक्षों का विवरण		विशेष विवरण
			संख्या	सड़क की लम्बाई/ क्षेत्रफल	संख्या	सड़क की लम्बाई/ क्षेत्रफल	संख्या	सड़क की लम्बाई/ क्षेत्रफल	संख्या	सड़क की लम्बाई/ क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विभाग/ संस्था के अधिकारी/
पदाधिकारी के हस्ताक्षर